## अनुसूची–8

(नियम 209(1) और 209 (2) देखे)
सुरक्षा अधिकारियों की संख्या, अर्हताएं,कर्तव्य,इत्यादि

सुरक्षा अधिकारियो की नियुक्ति

सुरक्षा अधिकारियों की संख्या– इन नियमों के प्रवर्तन में आने के छ माह के भीतर, प्रत्येक स्थापना जो पांच सौ से अधिक भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजन करती है और भवन निर्माण कर्मकारों का अन्य प्रत्येक नियोजक, सुरक्षा अधिकारियों की, जैसा कि नीचे दिए गए मापपान में अधिकथित किया गया है, नियुक्ति करेगाः–

| | | |
|---|---|---|
| 1, | 1000 भवन निर्माण कर्मकारो तक– | एक सुरक्षा अधिकारी। |
| 2, | 2000 भवन निर्माण कर्मकारो तक– | दो सुरक्षा अधिकारी। |
| 3, | 5000 भवन निर्माण कर्मकारो तक– | तीन सुरक्षा अधिकारी। |
| 4, | 10000 भवन निर्माण कर्मकारो तक– | चार सुरक्षा अधिकारी। |

प्रत्येक अतिरिक्त 5000 भवन निर्माण कर्मकारों या उसके भाग के लिए सुरक्षा अधिकारी कोई नियुक्ति, जब भी की जाए सेवा की अर्हताओं निर्बन्धनों और शर्तो के पूरे ब्यौरे देते हुए निरीक्षक को अधिसूचित की जाएगी।

अर्हताएंः (क) कोई भी व्यक्ति तब तक सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति का पात्र नही होगा जब तक कि वहः–

(1) इन्जीनियरिग या प्रौद्योगिकी को किसी शाखा में मान्यप्राप्त डिग्री (उपाधि) रखता हो और वह किसी भवन निर्माण या किसी अन्य निर्माण कार्य में पर्यवेक्षक की हैसियत से दो वर्ष की अवधि का व्यवहारिक अनुभव रखता हो अथवा इन्जीनियरिग या प्रौधोगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखता हो और उसे किसी भवन निर्माण या किसी अन्य निर्माण कार्य में पर्यवेक्षण की हैसियत में कम से कम पांच वर्ष के कार्य का व्यवहारिक अनुभव हो;

(2) औधोगिक सुरक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री (उपाधि) या डिप्लोमा रखता हो जिसका कम से कम एक पेपर निर्माण सुरक्षा (ऐच्छिक विषय के रूप में) हो और इस निमित राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हो;
(3) उस निर्माण स्थल पर और, जहां उसकी नियुक्ति की जानी है, बहुसंख्यक भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की पर्याप्त जानकारी रखता हों।

(ख) खण्ड (क) में किसी उपबंध के होते हुए कोई भी व्यक्ति जो,–

(1) इंजीनियरिंग या प्रौघोगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री (उपाधि) या डिप्लोमा रखता है और राज्य सरकार के विभाग मे, जो फैक्टरी अधिनियम, 1948 या डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और या भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रशासन से जुडा हो और कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।

(2) इंजीनियरिंग या प्रौघोगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री (उपाधि) या डिप्लोमा रखता हो या भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य से जुडे किसी उघोग या किसी शाखा या किसी संस्था या किसी स्थापना में दुर्घटना निवारण के क्षेत्र में शिक्षा, परामर्श या अनुसंधान का प्रशिक्षण लिया हो में कम से कम पॉच वर्ष का अनुभव रखता हो। सुरक्षा अधिकारी के रूप में भी नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति के मामले में जो भवन निर्माण का अन्य निर्माण कार्य से जुडे किसी उघोग या पतन (बन्दरगाह) संस्था या किसी स्थापना में सुरक्षा अधिकारी के रूप में इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष से कार्य कर रहा हो, मुख्य निरीक्षक ऐसी शर्तो के अध्यधीन जिन्हे वह विनिर्दिष्ट करे, उपर्युक्त सभी या किसी अर्हताओं को शिथिल कर सकेगा।

<u>सेवा की शर्ते:</u>

(क) जहां नियुक्त सुरक्षा अधिकारियो की संख्या एक से अधिसाक हो, वहा उनमें से एक को मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अभिहित किया जाएगा और उसकी हैसियत अन्यों से उपर होगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी उपखंड(4) में परिकल्पित सभी सुरक्षा कृत्यो का और उसके नियन्त्रण के अधीन कार्य करने वाले अन्य सुरक्षा अधिकारयिों के समग्र प्रभार में होगा।

(ख) मुख्य सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी, जहां केवल एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाता है, को मुख्य कार्यकारी की हैसियत प्रदान की जाएगी और वह अपने मुख्या कार्यकारी के नियन्त्रणाधीन प्रत्यक्षतः कार्य करेगा। अन्य समस्त सुरखा अधिकारियों को अपने कृत्यों का प्रभावपूर्ण ढ़ग से शीघ्र सम्पादन करने के योग्य बनाने के लिए समुचित हैसियत दी जाएगी।

(ग) मुख्य सुरक्षा अधिकारी सहित सुरक्षा अधिकारियों को वही वेतनमान और भत्ते प्रदान किए जाएगे और उनकी सेवा शर्त भी वही होगी, को उस स्थापना के जिसमें वे नियोजित है के समान अधिकारियों की है।

<u>सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्यः</u>

(क) सुरक्षा अधिकारी का कर्तव्य नियोजक को उसकी कानूनी अथवा अन्य वैयक्तिक क्षति की रोकथाम और सुरक्षित (कार्यकरण) कार्यशील वातावरण बनाए रखने संबंधी

बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सलाह और सहायता देना है। इन कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल है अर्थातः–

(1) भवन निर्माण कर्मकारों को, वैयक्तिक क्षति के प्रभावी नियंत्रण के आवश्यक उपायों की योजना बनाये और उसके आयोजन करने के लिए सलाह देना।

(2) किसी भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चुनिंदा कार्यकलापों का ब्यौरेबार सुरक्षा अध्ययन करना।

(3) वैयक्तिक क्षति की रोकथाम के लिए किए गए प्रभावपूर्ण उपायों अथवा प्रस्तावित उपायों की जांच पड़ताल और मूल्याकंन करना।

(4) वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण की खरीद की सलाह देना और उसकी क्वालिटी को राष्ट्रीय माानको के अनुरूप सुनिश्चित करना।

(5) भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की, भौतिक परिस्थितियों और भवन निर्माण कर्मकारों द्वाा अपनाए जाने वाली कार्य पद्वति और प्रकिया के अनुपालन के लिए सुरक्षा निरीक्षण करना और असुरक्षित भैतिक परिस्थितियों को दूर करने और भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा किए गए जाने वाले असुरक्षित कार्यो को रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों पर सलाह देना।

(6) सभी घातक और चुनिंदा दुर्घटनाओं का अन्वेषण करना।

(7) उपजीविकाजन्य रोग लगने के मामलों और रिर्पोट किए जाने योग्य खतरनाक घटनाओं का अन्वेषण करना।

(8) ऐसे अभिलेखों को, जो दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और उपजीविकाजन्य रोगों के संबंध में आवश्यक है, बनाए रखने पर सलाह देना।

(9) सुरक्षा समितियों के कार्यकरण को बढावा देना और ऐसी समितियों के सलाहकार के रूप में कार्य करना।

(10) सम्बन्धित विभागों के सहयोजन से समायोजन, प्रतिसपर्धाओं, प्रतियोगिताओं और अन्य कियाकलापों का, जो भवन निर्माण कर्मकारों की कार्य की सुरक्षित परिस्थियों और प्रकियाओं की स्थापना में अभिरूचि बढाए और बनाए रखने का आयोजन करना।

(11) भवन निर्माण कर्मकारो की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए स्वतंत्र रूप से या अन्य अभिकरणों के सहयोग से उपयुक्त प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्यकम चलाना।

(12) स्थापन के वरिष्ठ अधिाकारियों के परामर्श सुरक्षा नियमों और सुरक्षित कार्यशील (कार्यकरण) पद्वतियों को बनाना।

(13) स्थापन के पतन (पोर्ट) भवन और अन्य निर्माण कार्यो में लिए जाने वाली सुरक्षा पूर्वावधानियों का पर्यवेक्षण करना और मार्गदर्शन करना।

सुरक्षा अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाएः—नियोजक प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधाए, उपस्कर और जानकारी उपलब्ध कराएगा जो उसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक है।

अन्त कर्तव्यों के पालन का निषेधः— कोई भी सुरक्षा अधिकारी ऐसा कोई कार्य नही करेगा अथवा ऐसा कोई कार्य करने की उसे अनुज्ञा नही होगी जो इस अनुसूची में विहित कर्तव्यों से जुडा न हो, असंगत अथवा उनके पालन में अहितकर हो।

छूटें: — मुख्य निरीक्षक किसी नियोजक अथवा नियोजकों के किसी अन्य समूह को उसके द्वारा ऐसी छूटों के आदेश मे यथा अनुमोदित ऐसे किसी वैकल्पिक इंतजाम के अनुपालन के अध्यधीन इन नियमों के किन्ही या समस्त उपबंधो से लिखित मे छूट दे सकेगा।